कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/2155/कार्य/153 मण्डलेश्वर, दिनांक : 7-7-2021

प्रति,

जिलाध्यक्ष महोदय,
जिला देवास

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत **आई.एस.पी. कालीसिंध फेस ।। सूक्ष्म उद्दवहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)** में प्रभावित वन क्षेत्र **100.101** हेक्टेयर का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन – अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।

संदर्भ :–
1. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली का पत्र क्रं एफ–11–9/98–एफसी (पीटी) दिनांक 05–02–2013।
2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पृष्ठांकन क्रं एफ–11/भूप्र/882 दिनांक 07–03–2013।
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1334/आई.एस.पी..के.एस.2/कार्य मण्डलेश्वर दिनांक 08.04.2021.

निवेदन है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक निवेदन किया गया था। परंतु व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कमी होने के कारण संशोधित पत्र प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रेषित है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नर्मदा विकास संभाग 20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन के अंतर्गत **आई.एस.पी. कालीसिंध फेस ।। सूक्ष्म उद्दवहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)** सिंचाई परियोजना स्वीकृत है। इस परियोजना से राजगढ़ जिले के 62 गांव एवं शाजापुर जिले के 208 गांवों में लगभग 1.10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना में पानी इंदिरा सागर डेम के बेक वाटर से पानी लिफ्ट किया जाकर पाईप लाईन के जरिये शाजापुर एवं राजगढ़ जिले तक जावेगा। इस परियोजना में कुल **147.090** हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से खण्डवा जिले की **46.989** हेक्टेयर एवं देवास जिले की **100.101** हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। देवास जिले में प्रभावित होने वाला वनक्षेत्र तहसील बागली के ग्राम बोरन्या, देवास्या, बजरंग गढ़ एवं गडिया, तहसील सतवास के ग्राम तुमरी खेड़ा, डेहरी, सिंगलादेह एवं खराड़ी, तहसील उदय नगर के ग्राम बोर खल्या, पिपल्या खारी, रूपालीपुरा के अंतर्गत आता है।

अतः निवेदन है कि उक्त **100.101** हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप एवं प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के मूलभूत अधिकार प्रभावित न होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रदाय करने का कष्ट करें।

वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्र. 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/2154 / ormn/ 153/ मण्डलेश्वर, दिनांक : 7-7-2021

प्रति,

जिलाध्यक्ष महोदय,
जिला खण्डवा

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत **आई.एस.पी. कालीसिंध फेस ।। सूक्ष्म उद्दवहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)** में प्रभावित वन क्षेत्र **46.989** हेक्टेयर का गैर वानिकी प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन – अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक।

संदर्भ :– 1. केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली का पत्र क्रं एफ–11–9/98–एफसी (पीटी) दिनांक 05–02–2013।

2. कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंधन) भोपाल का पृष्ठांकन क्रं एफ–11/भूप्र/882 दिनांक 07–03–2013।

3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/1333/आई.एस.पी..के.एस.2/कार्य मण्डलेश्वर दिनांक 08.04.2021.

निवेदन है कि इस कार्यालय के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 द्वारा पूर्व में अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने विषयक निवेदन किया गया था। परंतु व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कमी होने के कारण संशोधित पत्र प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रेषित है।

नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत नर्मदा विकास संभाग 20 मण्डलेश्वर जिला खरगोन के अंतर्गत **आई.एस.पी. कालीसिंध फेस ।। सूक्ष्म उद्दवहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन)** सिंचाई परियोजना स्वीकृत है। इस परियोजना से राजगढ़ जिले के 62 गांव एवं शाजापुर जिले के 208 गांवों में लगभग 1.10 लाख हेक्टेयर में सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। परियोजना में पानी इंदिरा सागर डेम के बेक वाटर से पानी लिफ्ट किया जाकर पाईप लाईन के जरिये शाजापुर एवं राजगढ़ जिले तक जावेगा। इस परियोजना में कुल **147.090** हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित होगी। जिसमें से खण्डवा जिले की **46.989** हेक्टेयर एवं देवास जिले की **100.101** हेक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। खण्डवा जिले में प्रभावित होने वाला वनक्षेत्र तहसील पुनासा के ग्राम बांकापलास (वीरान) के अंतर्गत आता है।

अतः निवेदन है कि उक्त **46.989** हेक्टेयर वन भूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रिमिटिव ट्रायबल ग्रुप एवं प्री एग्रीकल्चर कम्युनिटीज के मूलभूत अधिकार प्रभावित न होने संबंधी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रदाय करने का कष्ट करें।

वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री,
नर्मदा विकास संभाग क्र. 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन